

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पत्रांक 156729

शा0वि09(ख)BRDS-45/2013

पटना, दिनांक 22/7/13

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला-कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर-जिला-कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।


विषय:- मनरेगा कर्मियों के संबंध में कोई भी सूचना उनके रोल नंबर के साथ भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मनरेगा अंतर्गत संविदा के आधार पर जिलों में कार्यरत कर्मियों से संबंधित सूचनाएं बिना रोल नंबर अंकित किए ही भेज दिए जाते हैं जिससे, विभाग में उनके डाटा को अधतन करने में कठिनाई होती है । ऐसी स्थिति में मनरेगा कर्मियों यथा- PRS, PTA, JE, EE, AE, PO, ACCOUNTANT एवं COMPUTER OPERATOR से संबंधित स्थानांतरण, त्यागपत्र, मृत्यु, अनुबंध रद्द या अन्य किसी भी प्रकार की सूचना विभाग को भेजते समय संबंधित कर्मियों का रोल नंबर अवश्य अंकित किया जाए । ध्यातव्य है कि कर्मियों के रोल नंबर को कर्मियों पहचान संख्या (Personnel Identity Number) के रूप में प्रयोग किया जाए ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन



(अमृत लाल मीणा)
सचिव ।
